

पत्रांक—10 / न—01 / 2017

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक

पी० एन० मिश्रा
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

संदर्भ में

अध्यक्ष

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली—110092

विषय—

मगध इंटरनेशनल स्कूल, ब्लाक रोड, टेकारी, गया को CBSE बोर्ड, नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापति प्रमाण—पत्र प्रिंट करने के संबंध में।

महाराज

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मगध इंटरनेशनल स्कूल, ब्लाक रोड, टेकारी, गया को अनापति प्रमाण—पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ—पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों एवं जांच समिति के प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई—

1. यह विद्यालय मगध एडुकेशनल ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निवापित सोसाइटी/न्यास के फैन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के छाड़ नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को 2.02 एकड़ भूमि 30 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।

4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है। विद्यालय में कुल 20 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या—238, दिनांक—04.04.2006 में उल्लेखित अपशिष्ट शर्तें स्वीकार हैं।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार—

(i) विद्यालय में कुल दामता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पढ़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उगसे दृगूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकलांग दालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रुपया 200,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/क० जी० अथवा प्राच्यमेक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता रहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नसरी/केंजी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रदेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आयास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं रस्य प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दाया किया गया है, फिर भी ३० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

५ साथ ही सी० बी० एस० ई०, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। रकूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्राक-46, दिनांक-18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने सकती आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11 विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वारक्ष्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के मार्ग निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त विभिन्न शर्तों के आलोक में विद्युग्मीय समिति द्वारा लिये गये विर्णवानुसार मगध इटरनेशनल स्कूल, ब्लाक रोड, टेकारी, गया को ३०० दौ० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रभाग-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान विद्या जाता है कि ३०० दौ० एस० ई० अपने सार से सहाय्य होने पर ही विद्यालय की सम्बद्धता देने पर विचार करेगी।

विश्वासानाजन

69 / -

(पी० एन० मिश्रा)

विशेष निदेशक, (मात्यमिक शिक्षा)

ज्ञापीक - 10 / ने 01 / 2017

पठना दिनांक

प्रतिलिपि ॥ जिथा चिन्हा पदाधिकारी, गर्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक काण्डार्थ प्रेषित।

60/-

विशेष निदेशक, (माध्यमिक रिहा)

पटना दिनांक १९।६।१३

ज्ञानपीक - १० / नवंबर २०१७ ६३९

प्रतिलिपि—प्राचार्य, मगध इंटरनेशनल रखूल, ब्लाक रोड, टेकारी, गया को सूचनार्थ, एवं अस्वीकृत कार्यालय प्रेषित।

विशेष निदेशक,  डॉ. जयंत के शिंदे